सं.जे-1/7/2021-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 28 अक्तूबर, 2021

रिक्ति परिपत्र

विषय: - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली में सदस्य के पदों के लिए चयन।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत स्थापित एक अपीलीय प्राधिकरण है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

2. निम्नलिखित मौजूदा 3 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं:

पद	रिक्ति की तिथि
सदस्य	17.06.2018
सदस्य	27.11.2020
सदस्य	10.05.2021

3. उम्मीदवार की नियुक्ति की अर्हता, पात्रता, वेतन और अन्य शर्तें अधिकरण सुधार अधिनियम और अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगी।

4. उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के तहत गठित सर्च-कम-सेक्शन समिति उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव को उचित वेटेज देकर पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी और व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने के लिए उम्मीदवारों की लघु सूची बनाएगी। अंतिम चयन, योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर समिति द्वारा किए गए उम्मीदवारों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

5. निर्धारित आवेदन पत्र, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 भी सुलभ संदर्भ के लिए मंत्रालय की वेबसाइट "www.consumeraffairs.nic.in" में दिये गये हैं।

6. पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों से url.jagograhakjago.gov.in/ncdrc के माध्यम से **30 नवम्बर, 2021** तक केवल **ऑनलाइन आवेदन** करने का अनुरोध किया जाता है।

(क) केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत सरकारी अधिकारियों और व्यक्तियों के मामले में, निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किए जाएं

(i) विधिवत हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन फार्म की प्रति

(ii) अनुबंध-II में दिए गए अनुसार नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/ अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

(iii) वर्ग 'क' अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित कम से कम विगत पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर के साथ अधिकारी की अद्यतन सीआर/एपीएआर डोजियर की स्पष्ट फोटोकॉपी

(iv) संवर्ग निकासी

(v) अनुबंध-III में दिए गए अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र/सतर्कता और अनुशासनात्मक दृष्टि से निकासी

(vi) विगत 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई बड़ी या छोटी शास्ति, यदि कोई हो, तो उसका विवरण।

(ख) सेवानिवृत्त **अधिकारियों के मामले में, पिछले नियोक्ता से ''नो इंक्वाइरी सर्टिफिकेट''।**

ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक प्रति, नीचे 6(ए और (बी) में दिए गए दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से (जहां लागू हो) श्री सीताराम मीणा, निदेशक (सीपीयू), उपभोक्ता मामले विभाग, कमरा सं. 456-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली को दिनांक 30 नवंबर, 2021 तक भेजी जाए।

7. साक्षात्कार/बातचीत के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमेय नहीं होगा। उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

8. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवश्यक अनुलग्नक के बिना नियत तारीख के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधूरे या मांगे गए किसी विवरण/दस्तावेज के संलग्न न होने पर और नियत तारीख के पश्चात प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

9. उपभोक्ता मामले विभाग बिना कोई कारण बताए किसी भी समय विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

10. सेवारत अधिकारियों के चयन की स्थिति में, सदस्य, एनडीआरसी के रूप में नियुक्ति ग्रहण करने से पहले, उन्हें उस समय धारित पद से इस्तीफा देना होगा/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी।

Meena 28.10.2021

(सीता राम मीना)
निदेशक
टेलीफैक्स: 011-23387737
ई-मेल- sitaram.meena@gov.in

सेवा में

1. **रजिस्ट्रार जनरल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें और इसका व्यापक प्रचार करें।**
2. **उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें और इसका व्यापक प्रचार करें।**
3. **रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें और इसका व्यापक प्रचार करें।**
4. **रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें और इसका व्यापक प्रचार करें।**
5. **केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें और इसका व्यापक प्रचार करें।**
6. **सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें और इसका व्यापक प्रचार करें।**
7. **सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित प्रधान सचिवों को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें और इसका व्यापक प्रचार करें।**

अनुलग्नक-II

नियोक्ता/ कार्यालय प्रमुख/ अग्रेषण प्राधिकरी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- द्वारा दिया गया विवरण सही है और उनके पास अनुलग्नक-I में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला न तो लंबित है न ही विचारधीन है और सीवीओ द्वारा जारी की गई सतर्कता निकासी अनुलग्नक (III) में संलग्न हैं।

3. इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

4. विगत 10 वर्षों की अवधि के दौरान श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- पर कोई छोटी या बड़ी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है।

5. श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- के संबंध में विगत वर्षों की अद्यतन एसीआर/एपीएआर की सत्यापित फोटोस्टेट प्रतियां (प्रत्येक एसीआर/एपीएआर की फोटोस्टेट प्रतियां सत्यापित होनी चाहिए) । ---------- संलग्न हैं।

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर

अनुलग्नक-III

जिस अधिकारी के लिए सतर्कता निकासी मांगी जा रही है उस अधिकारी से संबंधित विवरण

(मुख्य सतर्कता अधिकारी और विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाए और उस पर हस्ताक्षर किए जाएं)

1. अधिकारी का नाम (पूरा) :

2. पिता का नाम :

3. जन्म तिथि :

4. सेवानिवृत्ति की तारीख :

5. सेवा में प्रवेश की तारीख :

6. सेवा जिससे अधिकारी संबंधित है, जिसमें, जहां लागू हो, बैच/वर्ष/संवर्ग आदि, शामिल हैं :

7. धारित पद (पूर्ववर्ती दस वर्षों के दौरान):

क्रम सं.	संगठन (पूरा नाम)	पदनाम और तैनाती का स्थान	प्रशासनिक/ नोडल मंत्रालय/ संबंधित विभाग (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारियों के मामले में)	से	तक

8. क्या अधिकारी को सहमति प्राप्त सूची या संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारी की सूची में रखा गया है (यदि हां, तो ब्योरे उपलब्ध कराएं) :

9. क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी के विरूद्ध सतर्कता की दृष्टि से किसी कदाचार के आरोप की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा है(*) :

10. क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई दंड दिया गया और यदि हां तो दंड अधिरोपित करने की तारीख और दंड का ब्योरा(*) :

11. क्या आज की तारीख में अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक/ आपराधिक कार्यवाही या आरोप-पत्र लंबित है| (यदि हां, तो आयोग की संदर्भ संख्या यदि कोई हो सहित ब्योरे उपलब्ध करवाए जाएं) :

12. क्या आज की तारीख में अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई विचारधीन है (यदि हां, तो ब्योरे उपलब्ध करवाए जाएं(*) :

(*) यदि विगत में आयोग से सतर्कता निकासी प्राप्त की गई थी, तो उसके बाद की अवधि के लिए सूचना उपलब्ध करवाई जाए,

दिनांक:

(नाम और हस्ताक्षर)